

समाहरणालय मधेपुरा।

जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-535/खाद्य दिनांक 08.02.2017 द्वारा माह फरवरी,2017 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी० पी० एल०,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.400 (दो लीटर चार सौ मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 1.000 (एक लीटर ) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को कूपन के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ट्रेला भण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-635/खाद्य दिनांक-08.02.2017 द्वारा माह फरवरी,2017 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह-जनवरी,16 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि० की सं०	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज०वि०प्र०वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	47824	ज०वि०प्र०-114777.600 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल-119277.600	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुर्लीगंज 2.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	110277.600 9000.000 कुल- 119277.600
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10452	ज०वि०प्र०-10452.000 हॉकर (25X750) 18750.000 सरकारी संस्था 2368.000 कुल- 31570.000	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 31570.000
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	32775	ज०वि०प्र०- 78660.000 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल- 84010.000	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 84010.000
04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28554	ज०वि०प्र०-68529.600	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 68529.600
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19607	ज०वि०प्र०-47056.800	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 47056.800

06	घैलाढ़ प्रखण्ड	73129	21941	ज0वि0प्र0- 52658.400 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल- 57158.400	1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज 2. मे0 शिवशक्ति एजेन्सी सिंदेश्वर	36158.400 21000.000 कुल- 57158.400
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43533	ज0वि0प्र0-104479.200 सरकारी संस्था- 50.000 कुल-104529.200	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2 मे0 जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड 3. मे0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज	41529.200 60000.000 3000.000 कुल- 104529.200
08	मुरलीगंज नगर पं0	222936	6673	ज0वि0प्र0-6673.000 हॉकर (20X750) 15000.000 कुल- 21673.000	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज	कुल- 21673.000
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52271	ज0वि0प्र0-125450.400 हॉकर (1X750) 750.000 कुल-126200.400	1.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड।	कुल:-126200.400
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	37695	ज0वि0प्र0- 90468.000 हॉकर (16X750) 12000.00 सरकारी संस्था- 150.000 कुल- 102618.000	1.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 102618.000
11	ग्वालपाड़ा	95295	23844	ज0वि0प्र0-57225.600 हॉकर (4X750) 3000.000 कुल-60225,600	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 60225.600
12	बिहारीगंज	101655	30161	ज0वि0प्र0-72386.400 हॉकर (29X750) 21750.00 कुल- 94136.400	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 94136.400
13	आलमनगर	129226	38483	ज0वि0प्र0-92359.200 हॉकर (7X750) 5250.000 कुल- 97609.200	1.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल-97609.200
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज0वि0प्र0-76888.800 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल- 78388.800	1.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 78388.800
15	पुरैनी प्रखंड	77792	22097	ज0वि0प्र0-53032.800 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल-54532.800	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे0 शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	34164.000 20368.800 कुल- 54532.800
कुल योग:-		1526646	447947	1147515.800		1147515.800

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु आवंटित-95 टैकर(95X12000)=1140000.000लीटर+ माह जनवरी,2017 तक वितरण के पश्चात् थौक किरासन तेल विक्रेता के भंडार में उपलब्ध अघशेष मात्रा में से समायोजित मात्रा 19358.000लीटर को मिलाकर (1140000.000+19358.000)=1159358.000 लीटर किरासन तेल को प्रखंडवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में सेशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली0 किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4550 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपावंटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा -194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी0पी0 कॉलेज, मधेपुरा-174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
4. आवा0अनु0जाति वि0भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।
5. व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
5. उप कारा उदाकिशुनगंज -150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
6. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा - 850 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 2568 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अल्पसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा, उप कारा, उदाकिशुनगंज को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-535/खाद्य दिनांक-08.02.2017 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संघारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफलोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हें ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देगे और इसके पश्चात् थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचकर उसका भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकार के निदेश

के आलोक में पंचायतवार रोस्टर तैयार करेंगे और रोस्टर के अनुसार ही थोक विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर किरासन तेल के वितरण में हुई किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए, उसके विरुद्ध कार्रवाही की जायेगी।

7. संगत विभागीय निदेश के अनुपालन में उपावृत्त किरासन तेल को नियमानुसार शत प्रतिशत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।


8. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 एवं पत्रांक-1842/खाद्य,दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति/वाई स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा कार्डधारियों को कूपन के आधार पर बी0पी0एल0/अन्योदय/ए0पी0एल0 परिवारों को सरकार द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किरासन तेल का वितरण किया जायेगा। लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों के लिए आवृत्त किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। थोक किरासन तेल विक्रेता से ज0वि0प्र0वि0/ किरासन तेल डेला भेण्डर को आपूर्ति किये जाने वाले किरासन तेल एवं ज0वि0प्र0वि0/डेला भेण्डर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जाने वाला वितरण कार्य का सतत निरीक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। विभागीय निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

9. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि घैलाढ़ प्रखंड, नगर परिषद, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज0वि0प्र0वि0/डेला भेण्डर को स्वयं द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक...१४...आ०, मधेपुरा दिनांक...२०.०२.१७

प्रतिलिपि- सभी थोक किरासन तेल विक्रेता, मधेपुरा जिला/संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उपनिदेशक, खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।